यू.एस. मानदंडों के साथ भारतीय पेटेंट व्यवस्था का टकराव

प्रलिम्सि के लयि:

वशिष रपोिर्ट 301, IPR, दोहा घोषणा, प्राथमकिता नगिरानी सूची, भारतीय पेटेंट अधनियिम।

मेन्स के लयि:

भारत के IPR से संबंधति मुद्दे, भारतीय पेटेंट अधनियिम।

चर्चा में क्यों?

अमेरकिी व्यापार प्रतनिधि ने अपनी **वार्षकि वशिष 301 रपोिर्ट** में भारत में IP चुनौतयिों को उजागर कयिा।

- रपोिर्ट में **कॉपीराइट और पायरेसी से लेकर ट्रेडमार्क जालसाजी और व्यापार रहस्यों तक** के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जसिमें कहा गया है कि भारत IP के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में दुनयिा की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- इसने छह अन्य देशों- **अर्जेंटीना, चलिी, चीन, इंडोनेशयिा, रूस और वेनेजुएला** के साथ भारत को अपनी [प्राथमकिता नगिरानी सूची]() में बनाए रखने का फैसला कयिा है।
- यू.एस. व्यापार कानून ("वशिष 301") के लयि देशों में बौद्धकि संपदा संरक्षण और बाज़ार पहुँच प्रथाओं की वार्षकि समीक्षा की आवश्यकता है।
- व्यापार भागीदार जो वर्तमान में आईपी अधकिारों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चतिाओं को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें या तो प्राथमकिता नगिरानी सूची या नगिरानी सूची में रखा जाता है।

भारतीय पेटेंट व्यवस्था:

- पेटेंट आवषि्कार के लयि दयि गए अधकिारों का एक वशिष सेट है, जो एक उत्पाद या प्रक्रयिा हो सकती है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है या कसिी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करती है।
- भारतीय पेटेंट [1970 के भारतीय पेटेंट अधनियिम]() द्वारा शासति होते हैं। अधनियिम के तहत पेटेंट दयि जाते हैं यदि आवषि्कार नम्निलखिति मानदंडों को पूरा करता है:
  - यह नया होना चाहयि।
  - इसमें आवषि्कारशील कदम होना चाहयि या यह स्पष्ट नहीं होना चाहयि।
  - यह औद्योगकि अनुप्रयोग के लयि सक्षम होना चाहयि।
  - इसे पेटेंट अधनियिम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना चाहयि।
- भारत ने बौद्धकि संपदा अधकिारों से संबंधति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ धीरे-धीरे खुद को जोड़ लयिा है।
- 1 जनवरी, 1995 को वशि्व व्यापार संगठन की सदस्यता के बाद यह [बौद्धकि संपदा अधकिार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS)]() समझौते का एक पक्ष बन गया।
  - इसके बाद इसने ट्रपि्स का अनुपालन करने हेतु अपने आंतरकि पेटेंट कानूनों में संशोधन कयिा गया, वशिष रूप से वर्ष 2005 में जब इसने कानून में फार्मास्युटकिल उत्पाद पेटेंट को शामलि कयिा गए।
- **IPR से संबंधति अन्य कन्वेंशन:**
  - भारत कई बौद्धकि संपदा अधकिारों (IPR) से संबंधति कन्वेंशन/सम्मेलनों का भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है जसिमें बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट, बुडापेस्ट संधि, औद्योगकि संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरसि कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि (PCT) शामलि हैं जो वभिन्नि पेटेंट से संबंधति मामलों को नयिंत्रति करता है।
- मूल भारतीय पेटेंट अधनियिम ने दवा उत्पादों को पेटेंट संरक्षण प्रदान नहीं कयिा ताकि यह सुनशि्चति कयिा जा सके कि दवाएँ कम कीमत पर जनता के लयि उपलब्ध हों।
  - यह न्यायवदि राजगोपाल आयंगर की अध्यक्षता में 1959 के आयोग की सफिारशिों पर आधारति था।
- ट्रपि्स का अनुपालन करने के लयि वर्ष 2005 के संशोधन के बाद फार्मास्यूटकिल्स के पेटेंट संरक्षण को फरि से पेश कयिा गया था।

USTR द्वारा चह्नित कयि गए भारतीय मुद्दे:

- पेटेंट के मुद्दे "भारत में वशिष रूप से चति का वषिय बने हुए हैं", पेटेंट नरिस्तीकरण के खतरे को उजागर करते हुए पेटेंट वैधता के अनुमान की कमी और संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड वभिन्नि क्षेत्रों में कंपनयिों को प्रभावति करते हैं।
- भारतीय पेटेंट अधनियिम की धारा 3 (डी) के संबंध में संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड का मुद्दा फरि से उठाया गया था, रपिोर्ट में कहा गया था कि फार्मास्युटकिल क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरकिा पेटेंट-योग्य वषिय वस्तु पर प्रतबिंध की नगिरानी करना जारी रखता है।

भारतीय पेटेंट अधनियिम की धारा 3 और धारा 3 (डी):

- धारा 3 अधनियिम के तहत आवषि्कार के रूप में योग्य नहीं होने से संबंधति है।
- भारतीय पेटेंट अधनियिम 1970 (2005 में संशोधति) की धारा 3 (डी) एक ज्ञात पदार्थ के नए रूपों को शामलि करने वाले आवषि्कारों को पेटेंट देने की अनुमतनिहीं देती है, जब तक कयिह प्रभावकारति के संबंध में गुणों में महत्त्वपूर्ण रूप से भन्नि न हो।
    - या कसिी ज्ञात पदार्थ से संबंधति कसिी नई संपत्तयिा नए उपयोग की खोज मात्र,
    - या कसिी ज्ञात प्रक्रयिा, मशीन या उपकरण के केवल उपयोग के लयि जब तक कऐिसी ज्ञात प्रक्रयिा के परणिामस्वरूप एक नया उत्पाद न हो,
    - या कम से कम एक नए अभकिारक" को पेटेंट कानून के तहत संरक्षण के लयि पात्र होने से रोकता है।,
    - धारा 3 (डी) पेटेंट की "एवरग्रीनगि" के रूप में जानी जाने वाली चीज़ों को रोकती है।
        - यह एक कॉर्पोरेट, कानूनी, व्यावसायकि और तकनीकी रणनीतहि, जसि एक ऐसे अधकिार क्षेत्र में दी गई पेटेंट की अवधकिो वस्तिृत करने / बढ़ाने के लयि उपयोग कयिा जाता है, जसिकी अवधसिमाप्त होने वाली है ताकनिए पेटेंट नरि्मति कर उनसे रॉयल्टी बरकरार रखी जा सके।
- समतिकिी रपिोर्ट के अनुसार, धारा 3 (डी) केवल नवीन और वास्तवकि आवषि्कारों का पेटेंट कराकर सामान्य प्रतस्पिर्द्धा की अनुमतदिेती है।
- नोवार्टसि बनाम भारत संघ (2013) मामले में मौलकि नरि्णय ने धारा 3 (डी) की वैधता को बरकरार रखा।

नोवार्टसि बनाम भारत संघ का अर्द्ध-नरि्णय:

- इस मामले में दवा कंपनी नोवार्टसि ने कैंसर की दवा ग्लीवेक के अंतमि रूप के लयि पेटेंट दाखलि कयिा था, जसि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कग्लिीवेक एक ज्ञात दवा का केवल बीटा क्रस्टिलीय रूप था, अर्थात्, आई मैटनिबि मेसाइलेट और प्रभावकारति के संबंध में गुणों में अधकि भन्नि नहीं था। इसलयि इसे भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सका।
- फैसले में यह भी कहा गया है कधिारा 3 ट्रपि्स समझौते और दोहा घोषणा का अनुपालन करती है।
    - ट्रपि्स समझौते और सार्वजनकि स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा को नवंबर 2021 में वश्वि व्यापार संगठन के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था।
        - यह घोषणा "वकिासशील और सबसे कम वकिसति देशों को प्रभावति करने वाली सार्वजनकि स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता" को पहचानती है और इन समस्याओं के समाधान के लयि ट्रपि्स को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का हस्सिा बनने की आवश्यकता पर बल देती है।
        - घोषणा में कहा गया है कसिमझौते की व्याख्या की जा सकती है और इसे सार्वजनकि स्वास्थ्य की रक्षा के लयि वश्वि व्यापार संगठन के सदस्यों के अधकिार के समर्थन में और वशिष रूप से सभी के लयि दवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने के लयि लागू कयिा जाना चाहयि।
        - इन लचीलेपन में अनवािर्य लाइसेंस देने का अधकिार और ऐसे लाइसेंस के आधार शामलि हैं,
        - यह नर्धिारति करने का अधकिार क"िराष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनकि स्वास्थ्य संकटों सहति अत्यधकि तात्कालकिता की अन्य परस्थितियिाँ क्या हैं" और बौद्धकि संपदा अधकिारों की समाप्तकि लयि अपना स्वयं का शासन स्थापति करने का अधकिार भी शामलि है।
- अनवािर्य लाइसेंसगि एक राज्य द्वारा जनहति में लागू कयिा जा सकता है, पेटेंट मालकि के अलावा कंपनयिों को सहमतकि बनिा पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की इजाजत देता है।

आगे की राह

- भारत को धारा 3 (डी) के तहत पेटेंट योग्यता मानदंड से समझौता नहीं करना चाहयि क्योंकएिक संप्रभु देश के रूप में इसकी मौजूदा सामाजकि-आर्थकि स्थतियिों के अनुरूप पेटेंट के अनुदान पर सीमाएँ नर्धिारति करने की लचीलापन है।
    - यह जेनेरकि दवा नरि्माताओं की वृद्धअिौर जनता की सस्ती दवाओं तक पहुँच सुनश्चिति करता है।
- भारत को द्वपिक्षीय वार्ता के माध्यम से वृद्धशील आवषि्कारों की अयोग्यता के संबंध में अमेरकिा के साथ अपने मतभेदों को सुलझाना चाहयि।
- वश्वि व्यापार संगठन के सदस्य देश 'एवरग्रीनगि' को कम करने वाले आवषि्कार और पेटेंट योग्यता की कठोर परभिाषाओं को अपनाकर और लागू करके ट्रपि्स समझौते में उपलब्ध नीतगित स्थान का पूरा उपयोग करते हैं और यह सुनश्चिति करते हैं कपिेटेंट केवल तभी प्रदान कयि जाते हैं जब वास्तवकि नवाचार हुआ हो।
- धारा 3 (डी) के माध्यम से, भारत अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दायत्वों और सामाजकि-आर्थकि कल्याण और सार्वजनकि स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लयि अपनी प्रतबिद्धताओं को संतुलति करने का प्रयास करता है।

स्रोत- द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indian-patent-regime-clash-with-the-u-s-norms